बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक - 10 नि0 (कुक्कुट) 05/2025.................................... **दिनांक -**.................2026

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10000 क्षमता फीडमिल सहित एवं 5000 क्षमता) पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म (10000 क्षमता फीडमिल सहित एवं 5000 क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना में विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्र संख्या– 6 एस0 एस0 (6) 04/2020–2199, दिनांक–20.05.2025 तथा संगत कार्यान्वयन अनुदेश पत्र संख्या–10 नि0 (कुक्कुट) 05/2025–1959 (नि0), दिनांक–23.05.2025 के कंडिका 4 (x) में दिये गये निदेश के आलोक में निम्नलिखित आवेदक को अधोलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

10,000 लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित (सामान्य कोटि) :–

Sr. No.	Application Number	Full Name	Father's/ Husband's Name	Land Village/ P.O/ P.S/ Block/ Dist/ Pin Code	Mauza/ Thana No./ Khata/ Khesara	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	VAIS24062025LF0376GEN	VIKASH KUMAR	BAIDYANATH SAH	RASULPUR URF MADHAUL MAHUA महुआ वैशाली	NARANGI SARSIKAN 78 139,140 614,615	–

5000 लेयर मुर्गी क्षमता (सामान्य कोटि)

Sr. No.	Application Number	Full Name	Father's/ Husband's Name	Land Village/ P.O/ P.S/ Block/ Dist/ Pin Code	Mauza/ Thana No./ Khata/ Khesara	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	NALA22062025LF0278GEN	SUMAN RAJ	DINESH PRASAD	SAMSERA RAJGIR सिलाव नालंदा	LAXMIPUR 449 20 1156	–
2	NALA22062025LF0279GEN	CHUNCHUN KUMAR	MAHESH PRASAD YADAV	BAHABALPUR GIRIYAK गिरियक नालंदा	GIRIYAK 352 147 457	–
3	MUZA18062025LF0242GEN	VINAY KUMAR	SHIVNATH MAHTO	fakuli kudhani कुरहानी मुजफ्फरपुर	tal raksha 189 15.16 58.59	–
4	MUZA22062025LF0291GEN	शम्भू कुमार	प्रमेश्वर साह	विशनपुर गिद्धा मनियारी कुरहानी मुजफ्फरपुर	बथना डीह 321 50,106 133,135	–

5	PATN24062025LF0340GEN	RAHUL KUMAR	RAJESH MAHTO	RAMTOLA (AUNTA) HATHIDAH HATHIDAH मोकामा पटना	AUNTA 25 272 2524	–
6	GAYA20062025LF0263GEN	NISHANT ROUSHAN	RAJESHWAR PRASAD	IMALIYADIH IMAMGANJ ईमामगंज गया	PADARIYA 237 69.70 187.188	–

1– विभाग द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा 10,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीडमिल सहित की स्थापना की जायेगी, जिसके आधार पर सामान्य जाति के लाभार्थियों को अधिकतम रूपये 30.00 लाख *(तीस लाख रूपये)* एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थापना पर सामान्य जाति के लाभार्थियों को अधिकतम रूपये 14.55 लाख *(चौदह लाख पचपन हजार रूपये)* का अनुदान दो किस्तों में दिया जायेगा।

2– विभाग द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्ताव के आलोक में लाभार्थी निम्नलिखित निर्माण इकाई/मशीनरी के लिये अनुदान की पात्रता रखते हैं :–

10,000 लेयर मुर्गी क्षमता, फीड मिल सहित

(क) निर्माण इकाई का माप –

क्र0 सं0	शेड का प्रकार	शेड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अभ्युक्ति
1	ब्रुडर शेड	6000	
2	लेयर शेड	8000	
3	फीड मील गोदाम, स्टोर रूम इत्यादि	1500	
4	स्टाफ रूम	500	

(ख) फीड मिल मशीन एवं उपकरण –

क्र0 सं0	मशीन का प्रकार	अभ्युक्ति
1	फीड मील	1 टन/घण्टा न्यूनतम क्षमता
2	साईलेन्ट जेनसेट	35 KVA न्यूनतम क्षमता

5,000 लेयर मुर्गी क्षमता

(क) निर्माण इकाई का माप –

क्र0 सं0	शेड का प्रकार	शेड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अभ्युक्ति
1	ब्रुडर शेड	3000	
2	लेयर शेड	4000	
3	फीड गोदाम, स्टोर रूम इत्यादि	500	
4	स्टाफ रूम	250	

(ख) उपकरण –

क्र0 सं0	मशीन का प्रकार	अभ्युक्ति
1	साईलेन्ट जेनसेट	35 KVA न्यूनतम क्षमता

3–स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के **10 दिनों** के अन्दर लाभार्थी को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ रूपये 1000/– का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना होगा।

4– एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी सूचना लाभार्थी द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

5– बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभार्थी के ऋण आवेदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में लाभार्थी का यह दायित्व होगा कि लाभार्थी अविलम्ब निदेशक, पशुपालन को इसकी सूचना दें एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वे स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। स्वलागत से लेयर फार्म का निर्माण कराये जाने की स्थिति में लाभार्थी को स्वलागत के लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता का साक्ष्य समर्पित करना होगा।

6–एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में लाभार्थी के पक्ष में निर्गत स्वीकृति पत्र को निरस्त किया जा सकेगा तथा इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7– एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 6 (छः) माह के अन्दर लाभार्थी को लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा करने तथा चूजा फार्म में रखने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तथा फीड मिल एवं फीड गोदाम के निर्माण का साक्ष्य एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 9 (नौ) माह के अन्दर देना होगा।

8– विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या– 6 एस0 एस0 (6) 04/2020–2199, दिनांक– 20.05.2025 तथा संगत कार्यान्वयन अनुदेश पत्र संख्या–10 नि0 (कुक्कुट) 05/2025–1959 (नि0), दिनांक–23.05.2025 में उल्लेखित सभी नियम एवं शर्तें मान्य होगी एवं किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर)
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)।

ज्ञापांक–10 नि0 (कुक्कुट) 05/2025......995 (नि)....../पटना–15, दिनांक–......07/03.../2026

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, पटना एवं गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर चयनित लाभुक को अविलम्ब स्वीकृति पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे एवं संगत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र मुजफ्फरपुर, केन्द्रीय क्षेत्र पटना एवं मगध क्षेत्र गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/3/26

संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)।